न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 36/2021
पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

<u>उनवान</u>

1 वहादुर पिता नारायण रेवारी उम्र वयस्क निवासी माताजी का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 समदा पुत्री नारायण रेवारी उम्र वयस्क निवासी माताजी का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

---------(प्रार्थीगण)

वनाम

1 धन्ना पिता वालू माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 शिवराज पिता नारायण गोस्वामी पुरी उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 नाथु पिता लक्ष्मण माली उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

--------(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–
प्रार्थीगण अधिवक्ता– श्री शिवराज शर्मा

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक – **26.10.2021**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 10.03.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 349 के **आ.न. 1146 रकवा 0.31 हैक्टयर, भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 17.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस वाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया दिनांक 26.10.2021 के लिए पंजीवद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 349 के **आ.न. 1146 रकवा 0.31 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी वसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वाव्रत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जा[illegible] विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पाल[illegible] तह[illegible]र फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार [illegible] निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया के खुले न्याया[illegible] में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा
फुलियाकलां (भील.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:45:30 IST
Reason: SelfAttested